रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 1973/वैशाख 18, 1895
No. 108] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 1973/VAISAKHA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Roads Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th May 1973

No. NHV-11(6)/73.—On the 24th of February, 1973, Pier No. 17 of the bridge across the Chambal river near Dholpur on National Highway No. 3 yielded and settled by about 2 ft. Thereafter in the early hours of 3rd April, this pier yielded further and the four arch spans between abutment piers No. 16 and 20 collapsed. This caused considerable dislocation to the free flow of traffic and the Ministry of Shipping and Transport who are directly concerned with National Highways had to depute their engineers to inspect the damage at site and to make alternative arrangements for catering to the needs of traffic for the time being.

2. The damage caused to this bridge raises issues of a far reaching nature and it would be desirable both from the technical as well as administrative angles, to have the causes of the damage examined in depth and to find out ways and means to avoid recurrence of such situations in future. The Government of India have accordingly decided to appoint a Committee of Experts for the purpose, having as its members from various engineering organisations, so as to have their considered expert opinion on the problem. The findings of such an Expert Committee will be useful not only in tackling the problem in hand, but would also serve as a guideline for the future as well.

3. The Committee will consist of:—

Chairman

(1) Shri S. N. Sinha, Director General (Road Development) and Additional Secretary, Ministry of Shipping & Transport, New Delhi.

Members

(2) Shri U. S. Rao, Additional Member, Civil Engineering, Railway Board, New Delhi.

(3) Shri G. Muthachan, Engineer-in-Chief, Central Public Works Department, New Delhi.

(4) Maj. General J. S. Bawa, Director General (Border Roads), New Delhi.

(5) Shri V. S. Krishna Swamy, Deputy Director General, Geological Survey of India, Lucknow.

(6) Shri D. P. Jain, Chief Engineer, P.W.D., Rajasthan, Jaipur.

Member-Secretary

(7) Shri D. T. Grover, Chief Engineer (Bridges), Ministry of Shipping & Transport (Roads Wing), New Delhi.

4. The terms of reference of the Committee will be:—

(a) To investigate into the causes of collapse of four reinforced concrete arched spans between pier Nos. 16 and 20 (from Agra end) and subsidence of foundation of pier No. 17 of the road bridge across the Chambal river near Dholpur;

(b) To suggest:

(i) Ways and means of avoiding similar failures in future; and

(ii) whether the existing bridge can be retained and four collapsed spans reconstructed or a new bridge may be provided, keeping in view all aspects, including suitability, economics, etc.

5. The Committee will complete its deliberations and submit its report as early as possible.

ORDER

Ordered that copies of the Resolution be communicated to all State Governments/Local Administrations, Border Roads Development Board, Railway Board, Geological Survey of India, Central Public Works Department, and also that it should be published in the Gazette of India for general information and in the Gazette of Rajasthan and Madhya Pradesh by the Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh, respectively.

V. R. MEHTA, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 मई, 1973

सं० एम० एच० 5-11(6)/73.—24 फरवरी, 1973 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर धौलपुर के निकट चम्बल नदी के ऊपर पुल का पाया संख्या 17 झुक कर लगभग दो फुट तक बैठ गया। तत्पश्चात् 3 अप्रैल की प्रातः को यह पाया और झुक गया और आधार पाये संख्या 16 और 20 के बीच के चार मेहराब घाट गिर गये। इसके कारण यातायात के सुप्रवाह में भारी गड़बड़ी हो गई और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, जोकि राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधे तौर से संबंधित है, को वहां अपने इंजीनियर भेजने पड़े ताकि वे घटना स्थल पर जा कर क्षति का निरीक्षण कर सकें और कुछ समय के लिये यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध कर सकें।

2. इस पुल को हुई क्षति के परिणामस्वरूप कई गम्भीर प्रकार के प्रश्न उठ पड़े हैं और गहन रूप से क्षति के कारणों की जांच कराना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तौर तरीके ढूंढना, दोनों तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टिकोणों से वांछनीय होंगे। तदनुसार भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है, जिसमें विभिन्न इंजीनियरी संगठनों के सदस्य शामिल होंगे, ताकि इस समस्या के संबंध में उनका संतुलित विशेषज्ञता पूर्ण विचार लिया जा सके। ऐसी विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष, न केवल उक्त समस्या के समाधान में ही उपयोगी सिद्ध होंगे, बल्कि वे भविष्य के लिए भी मार्ग-दर्शन का कार्य करेंगे।

3. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) श्री एस० एन० सिन्हा,
महानिदेशक (सड़क विकास) और अतिरिक्त सचिव,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय .....अध्यक्ष

(2) श्री यू० एस० राव,
अतिरिक्त सदस्य,
सिविल इंजीनियरी,
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली–1.....सदस्य

(3) श्री जी० मुथाचेन, ई० एन० सी०,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
नई दिल्ली.....सदस्य

(4) मेजर जनरल जे० एस० बाबा,
महा निदेशक (सीमा सड़क),
नई दिल्ली .....सदस्य

(5) श्री बी० एस० कृष्णस्वामी,
उप महानिदेशक,
भारतीय भू सर्वेक्षण,
लखनऊ..... सदस्य

(6) श्री डी० पी० जैन,
मुख्य इंजीनियर,
लोक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर.....सदस्य

(7) श्री डी० टी० ग्रोवर,
मुख्य इंजीनियर (पुल),
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
सड़क पक्ष .....सदस्य सचिव

4. समिति के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(क) पाया सं० 16 तथा 20 (आगरा वाले सिरे से) के बीच 4 प्रबलित कंक्रीट मेहराबदार पाटों के पतन तथा धौलपुर के समीप चम्बल नदी पर सड़क पुल के पाया सं० 17 की नींव के अधःतलन के कारणों की जांच करना ।

(ख) ये सुझाव देना :—

(1) भविष्य में ऐसे दोषों को रोकने के लिए अर्थोपाय

(2) सभी पहलुओं, जिनमें उपयुक्तता, मितव्ययता आदि शामिल है, को ध्यान में रखते हुए, आया की मौजूदा पुल को रखा जा सकता है तथा चार नियतित पाटों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है अथवा एक नये पुल की व्यवस्था की जाये ।

5. समिति, जितनी जल्दी हो सके कार्य करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां सभी राज्य सरकारों/स्थानीय प्रशासनों, सीमा पथ विकास बोर्ड, रेलवे–बोर्ड, भारतीय भूसर्वेक्षण, लोक निर्माण विभाग को भेजी जाय और इसे सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

वीरेन्द्र राज मेहता, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973